छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

क्रमांक एफ–5–07/2019/10–2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक /07/2019

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
केपिटल कॉम्प्लेक्स,
अटल नगर, छत्तीसगढ़।

विषयः– आवेदनकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोण्डागांव का दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत संरक्षित वन भूमि के 5.00 हे. में जवाहर नवोदय विद्यालय भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भः–1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 11–9/98–FC दिनांक 13.05.2011, दिनांक 16.06.2011, दिनांक 17.05.2013 तथा दिनांक 25.02.2016 ।

2. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 11–9/1998–FC दिनांक 15.02.2018।

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी व.सं.अ. 80 छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र. /भू–प्रबंध/विविध/115–734/1131, दिनांक 02.05.2019 तथा पत्र क्र../भू-प्रबंध/विविध/115-734/1455,दिनांक 07.06.2019।

---00---

कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करें, जिसमें आपके द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है ।

विषयांकित प्रकरण को भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्र. एफ.नं. 11–9/98–एफ.सी. दिनांक 13.05.2011, दिनांक 16.06.2011 दिनांक 17.05.2013 तथा दिनांक 25.02.2016 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 11–9/1998–FC दिनांक 15.02.2018 में निहित प्रावधानो के तहत् विचारोंपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत संरक्षित वन कक्ष क्र. 794 रकबा 5.00 हे. वन भूमि में जवाहर नवोदय विद्यालय भवन निर्माण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोण्डागांव को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।

2.(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1996 के अंतर्गत आई.ए.क्रमांक–566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5–1/1998–एफ.सी. (पार्ट–II) दिनांक 18.09.2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 तथा पत्र क्रमांक 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 5.00 हे. वन भूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी ।

(ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

3. परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पेरेशन बैंक लोदी कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली – 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी ।

4. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अंतर्गत यदि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली से स्वीकृति की आवश्यकता हो तो स्वीकृति ली जायेगी ।

5. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

6. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।
7. प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन क्षेत्र में 43 वृक्ष से ज्यादा वृक्ष नही काटे जाएगे।
8. आवेदक संस्थान के व्यय पर विदोहित किये जाने वाली वृक्षों की संख्या का दुगुना अर्थात् कम से कम 86 पौधों का रोपण किया जायेगा जिसमें स्थानीय प्रजाति के पौधें रोपित किये जायेंगे।
9. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर को प्रेषित करेंगे ।
10. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलना पड़े तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय को निवेदन करेंगे ।
11. क्षेत्र के फ्लोरा एवं फाना के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदन संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) से शर्त संख्या 2, 3 एवं 8 की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इस प्रकरण का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा ।

जब तक राज्य शासन औपचारिक अनुमोदन न कर दे, वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता को वनभूमि के वनेत्तर उपयोग का आदेश जारी न किया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ–5–07/2019/10–2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 01/04/2019

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),भारत सरकार,पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग, व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत कांकेर (छ.ग.)
3. वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल कोण्डागांव (छ.ग.)
4. आवेदनकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोण्डागांव छ.ग.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

5. आदेश फोल्डर ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग